छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 336/2009

याचिकाकर्ता : सर्मिस्था डे

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

साथ में

डब्ल्यू.पी.(सी) क्रमांक 337/2009, 338/2009, 339/2009 और 340/2009

दिनांक 21 जुलाई, 2010 को आदेश उद्घोषित हेतु सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एस डी/-

सतीश के.अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक **336/2009**

याचिकाकर्ता : सर्मिस्था डे।

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

साथ में

डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 337/2009, 338/2009, 339/2009 और 340/2009

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थित: श्री राजेश कुमार जैन, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री एन.एन.रॉय, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 के लिए पैनल अधिवक्ता।

श्री आशीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता साथ श्री हर्ष वर्धन, **उत्तरवादी** क्र 2-विश्वविद्यालय के लिए अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(21 जुलाई, 2010 को पारित)

1. उपरोक्त सभी रिट याचिकाएँ **उत्तरवादी** विश्वविद्यालय को उन प्रश्नपत्रों के संबंध में याचिकाकर्ताओं की उत्तर-पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश देने की मांग करती हैं जिनमें वे न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं कर सके थे। इस प्रकार, इन याचिकाओं में विधि का प्रश्न यह है कि क्या उन प्रश्नपत्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के बाद, जिनमें याचिकाकर्ता न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं कर सके थे, क्या पुनः पुनर्मूल्यांकन का निर्देश दिया जा सकता है।

2. संक्षेप में, निम्नलिखित रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य निम्नानुसार हैं:

डब्ल्यू.पी.(सी) क्र 336/2009:

याचिकाकर्ता डी.एल.एस. कॉलेज, बिलासपुर में मास्टर ऑफ आर्ट्स (फाइनल) भूगोल की नियमित छात्रा थी। वह मार्च-अप्रैल, 2008 में आयोजित अंतिम परीक्षा में शामिल हुई थी। परिणाम में याचिकाकर्ता को 'असफल' घोषित किया गया। याचिकाकर्ता ने जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान विषय में 100 में से 29 अंक प्राप्त किए। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अपनी उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन में, याचिकाकर्ता ने 31 अंक प्राप्त किए और परिणाम अपरिवर्तित रहा। व्यथित होने के कारण, याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत उक्त विषय की उत्तर पुस्तिका की एक प्रति के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता ने उक्त उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन डॉ एल एन वर्मा, भूगोल, कला और विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ के प्रोफेसर द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.03.2007 (अनुलग्नक पी / 3) के अनुसार किया, जिसमें उन्होंने 48 अंक (अनुलग्नक पी / 5) प्राप्त किए। याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने पर, ज्ञापन दिनांक 28.03.2007 (अनुलग्नक पी/3) के अनुसार मामला डॉ. परमेंद्र देव, विक्रम विश्वविद्यालय, डॉ. बी.के.सिंह, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और डॉ. के.एन.सिंह, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की तीन सदस्यों की समिति को भेजा गया, जिसमें उसे 100 में से 33 अंक दिए गए। तीसरे पुनर्मूल्यांकन के बाद, याचिकाकर्ता का परिणाम 02.01.2009 (अनुलग्नक पी/6) को घोषित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डब्ल्यू.पी.(सी) क्र 337/2009:

याचिकाकर्ता सी.एम.डी. कॉलेज, बिलापपुर में मास्टर ऑफ आर्ट्स (प्रीवियस) भूगोल का नियमित छात्र था। वह मार्च-अप्रैल, 2008 में आयोजित अंतिम परीक्षा में शामिल हुआ था। परिणाम में याचिकाकर्ता को 'अनुत्तीर्ण' घोषित किया गया। याचिकाकर्ता ने भू-आकृति विज्ञान-1 विषय में 100 में से 31 अंक प्राप्त किए। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अपनी उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। पुनर्मूल्यांकन के बाद भी, परिणाम अपरिवर्तित रहा। व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत उक्त विषय की उत्तर पुस्तिका की प्रति के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता ने उक्त उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन डॉ. एल.एन. वर्मा, भूगोल, कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ के प्रोफेसर द्वारा कॉपी चेक हेतु ज्ञापन दिनांक 28.03.2007 (अनुलग्नक पी/3) के अनुसार करवाया, जिसमें उन्हें 45 अंक (अनुलग्नक पी/5) प्राप्त हुए। ज्ञापन दिनांक 28.03.2007 (अनुलग्नक पी/3) के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने पर, मामला डॉ. परमेंद्र देव, विक्रम विश्वविद्यालय, डॉ. बी.के.सिंह, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय और डॉ. के.एन.सिंह, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की तीन सदस्यों वाली समिति को भेजा गया, जिसमें उन्हें 100 में से 30 अंक प्राप्त हुए। तीसरे पुनर्मूल्यांकन के बाद, याचिकाकर्ता का परिणाम 02.01.2009 को घोषित किया गया (अनुलग्नक पी/6)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>डब्ल्यू.पी.(सी) क्र 338/2009</u>:

याचिकाकर्ता इंदिरा गांधी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, राहौद, जिला जांजगीर-चांपा में मास्टर ऑफ आर्ट्स (प्रीवियस) भूगोल का नियमित छात्र था। वह मार्च-अप्रैल, 2008 में आयोजित अंतिम परीक्षा में शामिल हुआ था। परिणाम में याचिकाकर्ता को 'फेल' घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता ने भू-आकृति विज्ञान-1 विषय में 100 में से 33 अंक प्राप्त किए थे। इसके बाद याचिकाकर्ता

ने अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। पुनर्मूल्यांकन के बाद भी परिणाम अपरिवर्तित रहा। व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत उक्त विषय की उत्तर पुस्तिका की एक प्रति के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता ने ज्ञापन दिनांक 28.03.2007 (अनुलग्नक पी/3) के अनुसार डॉ. एल.एन. वर्मा, भूगोल, कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ के प्रोफेसर द्वारा मूल्यांकित उक्त उत्तर पुस्तिका प्राप्त किया जिसमे उन्होंने 45 अंक अर्जित किये याचिकाकर्ता द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.03.2007 (अनुलग्नक पी/3) के अनुसार आवेदन किए जाने पर, मामले को तीन सदस्यों की एक समिति को भेजा गया था जिसमें डॉ. परमेन्द्र देव, विक्रम विश्वविद्यालय, डॉ. बी.के.सिंह, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय और डॉ. के.एन.सिंह, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन शामिल थे, जिसमें उन्हें 100 में से 38 अंक दिए गए थे। तीसरे पुनर्मूल्यांकन के बाद, याचिकाकर्ता का परिणाम 02.01.2009 को घोषित किया गया (अनुलग्नक पी/6)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>डब्ल्यू.पी.(सी) क्र 339/2009</u>:

याचिकाकर्ता इंदिरा गांधी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, राहौद, जिला जांजगीर-चांपा में मास्टर ऑफ आर्ट्स (प्रीवियस) भूगोल की नियमित छात्रा थी। वह मार्च-अप्रैल, 2008 में आयोजित अंतिम परीक्षा में शामिल हुई थी। परिणाम में याचिकाकर्ता को 'फेल' घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता ने भू-आकृति विज्ञान-1 विषय में 100 में से 33 अंक प्राप्त किए थे। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। पुनर्मूल्यांकन के बाद भी परिणाम अपरिवर्तित रहा। व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत उक्त विषय की उत्तर पुस्तिका की एक प्रति के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता ने ज्ञापन दिनांक 28.03.2007 (अनुलग्नक पी/3) के अनुसार डॉ. एल.एन. वर्मा, भूगोल, कला

एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ के प्रोफेसर द्वारा उक्त उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करवाया, याचिकाकर्ता द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.03.2007 (अनुलग्नक पी/3) के अनुसार आवेदन किए जाने पर, मामला डॉ. परमेंद्र देव, विक्रम विश्वविद्यालय, डॉ. बी.के.सिंह, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और डॉ. के.एन.सिंह, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की तीन सदस्यों की समिति को भेजा गया, जिसमें उसे 100 में से 36 अंक दिए गए। तीसरे पुनर्मूल्यांकन के बाद, याचिकाकर्ता का परिणाम 02.01.2009 (अनुलग्नक पी/6) को घोषित किया गया।

<u>डब्ल्यू.पी.(सी) क्र 340/2009</u>:

याचिकाकर्ता इंदिरा गांधी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, राहौद, जिला जांजगीर-चांपा में मास्टर ऑफ आर्ट्स (प्रीवियस) भूगोल की नियमित छात्रा थी। वह मार्च-अप्रैल, 2008 में आयोजित अंतिम परीक्षा में शामिल हुई थी। परिणाम में याचिकाकर्ता को 'अनुत्तीर्ण' घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता ने आर्थिक भूगोल- II विषय में 100 में से 34 अंक प्राप्त किए। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। पुनर्मूल्यांकन के बाद भी परिणाम अपरिवर्तित रहा। व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत उक्त विषय की उत्तर पुस्तिका की एक प्रति के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता ने उक्त उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन डॉ. वी.के. तिवारी, भूगोल के प्रोफेसर, सी.एम.डी. पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बिलासपुर द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.03.2007 (अनुलग्नक पी/3) के अनुसार करवाया, जिसमें उसने 50 अंक (अनुलग्नक पी/5) प्राप्त किए। याचिकाकर्ता द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.03.2007 (अनुलग्नक पी/3) के अनुसार आवेदन किए जाने पर, मामला तीन सदस्यों की समिति को भेजा गया था जिसमें डॉ. विक्रम वर्मा, संदीपनी कॉलेज, उज्जैन, डॉ. रवि मिश्रा, माधव कॉलेज,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उज्जैन और डॉ. आर.आर. गोरस्या, मांडव कॉलेज, ग्वालियर शामिल थे, जिसमें उसे 100 में से 36 अंक दिए गए थे। तीसरे पुनर्मूल्यांकन के बाद, याचिकाकर्ता का परिणाम 02.01.2009 (अनुलग्नक पी/6) को घोषित किया गया था।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि के.जी. आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, रायगढ़ के प्रोफेसरों डॉ. एल.एन. वर्मा, द्वारा किए गए मूल्यांकन में 100 में से 48, 45, 45, 44 अंक दिए हैं (डब्ल्यू.पी.(सी) क्र 336, 337, 338 और 339/2009 में) और सी.एम.डी. कॉलेज, बिलासपुर के सहायक प्रोफेसर, भूगोल डॉ. वी.के. तिवारी, जिन्होंने 50 अंक दिए हैं (डब्ल्यू.पी.(सी) क्र 340/2009 में) । इस पर विचार किया जाना चाहिए था और याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त विषयों में 'उत्तीर्ण' घोषित किया जाना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री आशीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता साथ श्री हर्ष वर्धन ने निवेदन किया कि उपरोक्त मामलों में उत्तरवादी विश्वविद्यालय ने निष्पक्ष, न्यायोचित और कानूनी तरीके से काम किया है। याचिकाकर्ता, मास्टर ऑफ आर्ट्स (प्रीवियस) और (फाइनल) के छात्र होने के नाते, शैक्षणिक वर्ष 2007-2008 के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे। परिणाम घोषित किया गया और मार्कशीट जारी की गई, जिसमें याचिकाकर्ताओं को संबंधित विषय में अनुत्तीर्ण दिखाया गया था, जैसा कि ऊपर कहा गया है। उन्हें दिए गए अंकों से असंतुष्ट होने पर, याचिकाकर्ताओं ने संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया, जिसमें वे न्यूनतम उत्तीर्ण अंक भी प्राप्त नहीं कर सके। श्री श्रीवास्तव ने आगे प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश 5 जैसा की दिनांक 05.03.2005 को आदेशित 9वे बैठक में इसे अंतिम रूप दिया गया था (अनुलग्नक - आर/1) में स्पष्ट रूप से

प्रावधान है कि पुर्नमूल्यांकन के उपचार यदि दिए गए अंकों से छात्र असंतुस्ट होता है, तो निश्चित मूल्य के भुगतान के यह नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है निष्पक्षता सुनिश्चित करने एवं आपत्ति का निष्पक्षता से निपटने के लिए मूल्यांकन से असंतुष्ट छात्रों की उत्तर पुस्तिकाए निर्धारित शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन कर सकते है। और ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, उनकी उत्तर पुस्तिकाएँ विश्वविद्यालय के बाहर विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ताओं के पास भेजी जाएँगी। तदनुसार, उनकी उत्तर पुस्तिकाएँ दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के पास भेजी गईं। मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच की गई और उन्होंने पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रश्नवार प्राप्त अंकों को दर्शाने वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत की (अनुलग्नक आर/2)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री रॉय ने निवेदन किया कि विवाद याचिकाकर्ताओं और उत्तरवादी -विश्वविद्यालय के बीच है और राज्य के खिलाफ कोई अनुतोष का दावा नहीं किया गया है।

6. उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, अभिवचनों एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया.

7. अध्यादेश 5 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, यदि स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं में से किसी एक द्वारा भी दिए गए अंक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों से कुल अंकों की संख्या के 10% के अंतर से अधिक या कम हो जाते हैं, तो यह एक ऐसा मामला है जो अंकों में बदलाव को उचित ठहराता है, ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय अगले चरण के साथ कार्यवाही करेगा। विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए अंकों में कुछ बदलाव देखने के बाद सभी उत्तर

पुस्तिकाओं को तीन विशेषज्ञों की समिति को भेज दिया और समिति द्वारा दिए गए अंकों पर विचार किया गया। समिति द्वारा दिए गए अंकों पर, परिणाम अपरिवर्तित रहा क्योंकि पहले मूल्यांकन में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त अंकों के 10 प्रतिशत के अंतर से अंकों को कम करने या बढ़ाने से कोई भिन्नता नहीं हुई थी।

8. किसी भी मामले में, याचिकाकर्ताओं ने समिति द्वारा न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त नहीं किए हैं, सिवाय डॉ. एल.एन. वर्मा और डॉ. वी.के. तिवारी द्वारा, याचिकाकर्ताओं के कहने पर, निजी तौर पर किए गए मूल्यांकन के। इसे अंतिम नहीं माना जा सकता। स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा अंकों में परिवर्तन के बाद मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए 28.03.2007 के ज्ञापन (अनुलग्नक पी/3) के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन के बाद, अंतिम उत्तर पुस्तिकाओं को विशेषज्ञों की समिति को भेजा गया और उनके द्वारा दिए गए अंकों पर विचार किया गया। इस प्रकार, कोई परिवर्तन नहीं पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इस प्रकार, संबंधित विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं, जिनमें याचिकाकर्ताओं ने अर्हक अंक प्राप्त नहीं किए हैं, का तीन बार पुनर्मूल्यांकन किया जा चुका है। पहला मूल मूल्यांकन, उसके बाद दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा पुनर्मूल्यांकन और तीसरा विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा पुनर्मूल्यांकन, और इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन करने के लिए मांगी गई अनुतोष प्रदान नहीं की जा सकती। जहाँ तक उत्तरवादी-विश्वविद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई का संबंध है, इस प्रकार का कोई आदेश पारित करने का कोई

कारण नहीं है क्योंकि उत्तरवादी-विश्वविद्यालय ने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है और विशेषज्ञों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच कराई है।

10. उपर्युक्त कारणों से, उपरोक्त रिट याचिकाएँ गुण-दोष से रहित हैं। तदनुसार, सभी रिट याचिकाएँ खारिज की जाती हैं।

11. व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

एस डी/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>अस्वीकरणः</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by- Priyanshu Gupta